अति तत्काल

संख्या 31011/2/2003-स्था.(क)
भारत-सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून, 2004

कार्यालय ज्ञापन

विषयः-केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत नियमावली, 1988) -नई दिल्ली से श्रीनगर के बीच हवाई यात्रा से छुट्टी यात्रा रियायत में ढील ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 के नियम 12 (1) में ढील देते हुए, सरकार ने , समूह 'क' और समूह 'ख' के सरकारी कर्मचारियों को, दो वर्ष की अवधि के लिए, छुट्टी यात्रा रियायत लेकर नई दिल्ली से श्रीनगर तक के बीच नेशनल केरियर की इकानॉमी (वाय) क्लास से हवाई यात्रा करने और तदनुसार हवाई जहाज के किराए की प्रतिपूर्ति किए जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है । ये आदेश उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत लेकर श्रीनगर जाना चाहते हैं बशर्ते कि वे अपनी यात्रा दिल्ली से शुरु करें अथवा श्रीनगर तक की यात्रा में, दिल्ली मार्ग में पड़ता हो ।

2. ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

3. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों पर जहाँ तक इन आदेशों को लागू किए जाने का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श किए जाने के पश्चात् जारी किए जाते हैं ।

वी. ए. पिल्लै

(वी. ए. पिल्लै)
भारत-सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।